एपीडा-TFD/144/2025-TFD
दिनांक: 16.01.2026

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) निविदा आमंत्रण
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में दिनांक 10 से 14 मार्च, 2026 तक आयोजित होने वाले 'आहार 2026' के 40वें संस्करण में एपीडा पवेलियन की डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव हेतु मुहरबंद बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

1. परिचय:

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु शीर्षस्थ संगठन है।

2. "आहार 2026" के बारे में

2.1 'आहार' एशिया के सबसे बड़े खाद्य एवं आतिथ्य मेलों में से एक है, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा किया जाता है। वर्ष 2026 का संस्करण इस प्रतिष्ठित आयोजन की 40वीं वर्षगांठ का परिचायक है।

2.2 एपीडा 'आहार 2026' में अपनी भागीदारी आयोजित कर रहा है और इसके अंतर्गत भारतीय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु **भारत मंडपम**, नई दिल्ली के हॉल संख्या 03 (भूतल) में एपीडा पवेलियन तथा प्रदर्शनी क्षेत्र तैयार करेगा।

3. असाइनमेंट के बारे में:

3.1 एपीडा 'आहार 2026' में एपीडा पवेलियन और प्रदर्शनी क्षेत्र के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव तथा अन्य गतिविधियों के लिए निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार इच्छुक एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित करता है:

3.2 भारत मंडपम में हॉल संख्या 03 के भूतल पर एपीडा पवेलियन और प्रदर्शनी क्षेत्र हेतु निर्धारित स्थान का क्षेत्रफल लगभग **2500 वर्ग मीटर** है। लेआउट योजना संलग्न है।

4. बोलियाँ प्रस्तुत करने हेतु पात्रता:

4.1 ऐसी इच्छुक एजेंसियां, जो विगत पांच वित्तीय वर्षों या उससे अधिक समय से कार्य में हैं और निम्नलिखित अर्हता मानदंडों को पूरा करती हैं, तथा जिनके पास समान मंचों पर समान कार्य के निष्पादन का वांछित अनुभव एवं विशेषज्ञता है, वे इस बोली में भाग ले सकती हैं।

क्र. सं.	पात्रता मानदंड	अपेक्षित दस्तावेज़
क.1	एजेंसी द्वारा विगत 5 वर्षों के दौरान टर्नकी आधार पर पवेलियन के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव की आवश्यकता वाले कम से कम तीन (3) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन/निष्पादन किया गया हो, जिसमें, (क) प्रत्येक इवेंट के लिए पवेलियन का क्षेत्रफल **500 वर्ग मीटर** से कम न हो, और (ख) ऐसे इवेंट्स का वित्तीय मूल्य प्रति इवेंट रु. **50,00,000/- (पचास लाख रुपये)** से कम नहीं होना चाहिए।	सीए द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें दर्शाया गया हो (क) एजेंसी के निगमन की तिथि, (ख) पिछले 5 वित्तीय वर्षों का टर्नओवर और (ग) पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान निष्पादित इवेंट्स की संख्या,

क.2	एजेंसी को पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों के दौरान इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में पवेलियन के निर्माण-कार्य, डिज़ाइन और रखरखाव से संबंधित) से 3,00,00,000 रुपये (तीन करोड़ रुपये मात्र) का न्यूनतम कारोबार अर्जित करना चाहिए। कारोबार केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए, न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर।	(घ) वर्ष-वार निष्पादित इवेंट्स का विवरण, एक कार्यरत सीए द्वारा हस्ताक्षरित, (यूडीआईएन का उल्लेख करते हुए) और एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, जैसा कि अनुलग्नक-2 में दर्शाया गया है।
क.3	एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया हो।	अनुलग्नक 3 के अनुसार एक स्व-घोषणापत्र प्रस्तुत करनी होगी।

4.2 **पात्रता के आकलन हेतु अपेक्षित दस्तावेज:**

एजेंसी का नाम, पता, जीएसटी पंजीकरण संख्या, पैन कार्ड, कुल कारोबार (टर्नओवर), संबंधित क्षेत्र में अनुभव, निष्पादित समान कार्यों की संख्या आदि जैसे विवरण अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रपत्र (प्रोफार्मा) के अनुसार उल्लिखित किए जाने चाहिए तथा पात्रता मानदंडों की पूर्ति के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा किए जाने चाहिए।

4.3 **प्रसंस्करण शुल्क, ईएमडी और कार्य-निष्पादन प्रतिभूति**

4.3.1 बोली के साथ आवेदन-सह- प्रसंस्करण शुल्क और बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करना अनिवार्य होगा।

4.3.2 15,000/- रुपये का गैर-वापसी योग्य आवेदन-सह-प्रसंस्करण शुल्क तथा उस पर 18% जीएसटी (2,700/- रुपये), यानी कुल 17,700/- रुपये (सत्रह हजार सात सौ रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), जो "एपीडा" के पक्ष में आहरित और नई दिल्ली में देय हो।

4.3.3 नई दिल्ली में देय में "एपीडा" के पक्ष में आहरित 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) के डीडी के रूप में ब्याज मुक्त बयाना जमा राशि (ईएमडी) । असफल बोलीदाताओं से प्राप्त ईएमडी चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता से प्राप्त ईएमडी का निस्तारण पैरा 4.3.4 के अनुसार किया जाएगा।

4.3.4 एनएसआईसी तथा एमएसएमई पंजीकृत एजेंसी को ईएमडी जमा करने से छूट अनुलग्नक-1 में वर्णित विवरणों के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करने की शर्त पर लागू होगी।

4.3.5 सफल एजेंसी को 5,00,000/- रुपये (केवल पाँच लाख रुपये) या अनुबंध मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, के बराबर कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा करनी होगी, जो सभी अनुबंधीय दायित्वों की पूर्ति की तिथि से साठ दिनों तक वैध रहेगी। सरकारी मानदंडों के अनुसार, एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत संगठनों को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा करने से कोई भी छूट नहीं दी जाएगी।

4.3.6 सफल एजेंसी से प्राप्त ईएमडी की राशि को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के लिए समायोजित किया जाएगा और अनुबंध मूल्य का 5% तक की शेष राशि एजेंसी द्वारा जमा की जाएगी। एजेंसी को अंतिम बकाया की निकासी के बाद कार्य-निष्पादन प्रतिभूति वापस कर दी जाएगी।

5. कार्यक्षेत्र:

5.1 **सामान्य:**

(क) आहार 2026 में एपीडा पवेलियन के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव के लिए टर्नकी आधार पर की जाने वाली गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं। तथापि, पूरे दस्तावेज़ को एक साथ पढ़ा जाए, और दस्तावेज़ में कहीं और बताए गए कर्तव्यों को भी एजेंसी के कर्तव्यों का हिस्सा माना जाए।

(ख)	कार्य के अंतर्गत संयोजन, आयोजन, विखंडन, जल निकासी, सामग्री प्रबंधन, परिवहन, रखरखाव, उद्घाटन से पूर्व के दिन एवं उसके पश्चात दैनिक आधार पर सफाई (अपशिष्ट निपटान सहित) तथा संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने जैसी समस्त गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी।

(ग)	प्रदर्शनी क्षेत्र में एपीडा पवेलियन के लिए आरक्षित स्थान पर निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु, **आई.टी.पी.ओ.** द्वारा निर्धारित तिथि और अन्य संबंधित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

(घ)	पवेलियन/स्टॉल के निर्माण, स्टॉल की ऊँचाई और अन्य मामलों से संबंधित स्थान उपलब्ध कराने वाले प्राधिकरण द्वारा लगाई गई अतिरिक्त शर्तों/प्रतिबंधों के लिए, एजेंसी को आई.टी.पी.ओ. के दिशानिर्देशों का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है। **हालांकि, किसी भी स्थिति में, 9 मार्च, 2026 को शाम 4.00 बजे तक पूरे पवेलियन का निर्माण कार्य अपूर्ण नहीं रहना चाहिए।**

एपीडा पवेलियन का डिज़ाइन और विकास एपीडा द्वारा अनुमोदित थीम और डिज़ाइन के अनुसार लकड़ी की सामग्री (सामान्य क्षेत्र) और ऑक्टोनॉर्म/मैक्सिमा (सभी पृथक बूथ/स्टॉल के लिए) का उपयोग करके किया जाएगा। पूरे पवेलियन में दीवार से दीवार तक नया कालीन और बैक-लिट ग्राफिक्स पैनल लगाए जाएंगे। प्रस्तावित डिज़ाइन आई.टी.पी.ओ. के मानदंडों के अनुरूप होगा। एपीडा पवेलियन के विभिन्न घटकों के लिए विशेष निर्देश नीचे दिए गए हैं:

(i) थीम / सामान्य क्षेत्र (प्रदर्शक स्टॉलों को छोड़कर)
(ii) प्रदर्शक स्टॉल
(iii) एपीडा की ब्रांडिंग
(iv) सामान्य वेट सैम्पलिंग क्षेत्र
(v) अन्य गतिविधियाँ / कर्तव्य

5.2	**<u>थीम / सामान्य क्षेत्र (प्रदर्शक स्टॉलों को छोड़कर)</u>**:

5.2.1	लगभग **72** वर्ग मीटर का थीम क्षेत्र 100 मिमी ऊंचे प्लेटफॉर्म/फर्श और बेज रंग की लकड़ी की फर्श तथा अंतरित (रीसेस्ड) एलईडी लाइट के साथ सुस्पष्ट होना चाहिए। प्रस्तावित पवेलियन को पूर्णतः लकड़ी की संरचना में कस्टम-डिज़ाइन किया जाएगा। एपीडा के उपयोग हेतु सभी सामान्य क्षेत्रों को उत्थापित लकड़ी के फर्श से अलग पहचाना जाना चाहिए।

5.2.2	थीम क्षेत्र में नमूनों के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

5.2.3	आयोजकों के दिशानिर्देशों के अनुसार, एपीडा पवेलियन की ब्रांडिंग और दृश्यता अधिकतम ऊंचाई तक होनी चाहिए।

5.2.4	सामान्य क्षेत्र में वीआईपी लाउंज, कार्यालय, स्टोर, पेंट्री और खुला बैठक क्षेत्र होगा। वीआईपी लाउंज में कम से कम 15 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाले सोफा सेट, सेंटर टेबल और खुला बैठक क्षेत्र होगा। बैठक कक्ष में सोफा आधारित बैठक व्यवस्था और गोल मेज के साथ 24 कुर्सियों वाली 6 खुली बैठने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी।

5.2.5	पेंट्री सहित भंडारण क्षेत्र में आगंतुकों के लिए चाय, कॉफी, जूस, पीने का पानी, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर आदि का प्रावधान होगा, जिसमें पीने के पानी, चाय, कॉफी और नाश्ते की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

5.2.6	बैठक लाउंज को कांच/एक्रिलिक या समकक्ष सामग्री से कवर किया जाएगा।

5.2.7	विभाजन की दीवारें पेंट फिनिश में एमडीएफ (एमडीएफ - न्यूनतम आकार 50 मिमी) के साथ दोनों तरफ टिम्बर क्लैड होंगी।

5.2.8	एपीडा कार्यालय में उपयुक्त बैकड्रॉप और कुर्सियों के साथ कस्टम-निर्मित लॉक करने योग्य रिसेप्शन टेबल होनी चाहिए।

5.2.9 जेनेरिक ब्रांडिंग स्ट्रेचेबल फैब्रिक/फ्लेक्स पर की जाएगी ताकि अंतिम रूप में कोई सिलवट न रहे। सामान्य ब्रांडिंग बैनरों में कंसील्ड ब्राइट एम्बिएंट लाइटिंग की व्यवस्था होगी।

5.2.10 पवेलियन को पर्याप्त श्वेत रोशनी से रोशन किया जाएगा, ताकि पूरे पवेलियन में कहीं भी अंधेरा या डार्क पॉकेट न रहे।

5.2.11 प्रावरणी और ब्रांडिंग, जो पूरे एपीडा पवेलियन में चलती है, मूल संरचना के ऊपर होगी और बैक-लिट होनी चाहिए।

5.3 **प्रदर्शक स्टॉल:**

5.3.1 पवेलियन में प्रदर्शकों के लिए **9 वर्ग मीटर / 18 वर्ग मीटर** के निर्मित बूथ होंगे, जो अधिमानतः दो तरफ से खुले होने चाहिए। प्रदर्शकों की आवश्यकता के अनुसार बड़े बूथ भी हो सकते हैं, जिसकी सूचना तदनुसार दी जाएगी।

5.3.2 यद्यपि ये सांकेतिक आकार हैं, लेकिन लेआउट की योजना इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि 9 वर्ग मीटर के स्टालों की संख्या अधिकतम हो ताकि स्थान का इष्टतम उपयोग किया जा सके। स्टालों की संख्या और आकार के संबंध में अंतिम निर्णय एपीडा का होगा।

5.3.3 **सभी पृथक बूथ/स्टाल 'ऑक्टोनॉर्म-सह-मैक्सिमा' संरचना में होने चाहिए** और एपीडा की ब्रांडिंग पूरे क्षेत्र में आयोजकों द्वारा अनुमत ऊंचाई तक होनी चाहिए। इनका स्वरूप आधुनिक, समकालीन और सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। स्टालों का डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए कि प्रदर्शक अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकें और संभावित खरीदारों/आगंतुकों के साथ संवाद सुगम हो।

5.3.4 प्रत्येक निर्मित बूथ (आकार- 9 वर्ग मीटर) में निम्नलिखित मानक फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा:

(i) 1 गोल मेज
(ii) 4 कुर्सियाँ
(iii) 100 वॉट के 5 स्पॉटलाइट या समकक्ष
(iv) 6 शेल्व्स
(v) 1 पावर प्वाइंट
(vi) कालीन
(vii) बैकलिट वैयक्तिक प्रावरणी
(viii) 1 बेकार कागज़ की टोकरी
(ix) 1 स्टूल के साथ ताला लगाने योग्य काउंटर

5.3.6 प्रदर्शकों द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त फर्नीचर वस्तुएँ उचित लागत पर उपलब्ध कराई जाएँगी, जिसका भुगतान संबंधित प्रदर्शक द्वारा किया जाएगा। ऐसे फर्नीचर की लागत की सूचना अनुलग्नक-5 के अनुसार वित्तीय बोली के साथ प्रदान की जाएगी।

5.3.7 प्रत्येक 9 वर्ग मीटर के स्टॉल हेतु कुल 18 वर्ग फुट क्षेत्रफल के 3 पैनल पोस्टर (प्रत्येक का आकार 3 फीट × 6 फीट) का निर्माण संबंधित प्रदर्शकों से प्राप्त टीपी/डिज़ाइन के अनुसार किया जाएगा। एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पैनल एवं पोस्टर आयाम में समान होंगे तथा उनकी मुद्रण गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी।

5.3.8 प्रदर्शकों द्वारा उपलब्ध कराए गए डिज़ाइनों के अनुसार पोस्टरों की मुद्रण, आपूर्ति एवं चिपकाने की व्यवस्था बिना किसी अतिरिक्त लागत के सुनिश्चित की जाएगी।

5.3.9 संबंधित प्रदर्शकों से प्राप्त टीपी/डिज़ाइनों के अनुसार, समरूपता बनाए रखने हेतु एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पैनल एवं पोस्टर आयाम में समान होंगे।.

5.3.10 एपीडा पवेलियन एवं प्रदर्शक स्टॉलों में किसी भी प्रकार के अंधेरे क्षेत्र की संभावना न रहे, इसके लिए उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था

सुनिश्चित की जाएगी।

5.4 **"एपीडा" की ब्रांडिंग:**

5.4.1 एपीडा पवेलियन का समग्र स्वरूप आधुनिक और सुरुचिपूर्ण होना चाहिए तथा इसमें आधुनिक भारत के रंगों और जीवंतता की झलक मिलनी चाहिए।

5.4.2 एजेंसी विभिन्न प्रमुख दृश्य स्थानों पर "एपीडा" और "एपीडा लोगो" शीर्षक वाले अग्रभाग पटल/ग्राफिक्स बनाना और लगाना सुनिश्चित करेगी।

5.4.3 सामान्य क्षेत्र में ब्रांडिंग के लिए **कम से कम एक एलईडी वॉल/वीडियो वॉल (आकार 3 X 2 मीटर)** का प्रावधान होगा। एजेंसी को विज्ञापन के रूप में प्रतिभागी कंपनियों के प्रचार हेतु वीडियो के निरंतर संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।

5.4.4 **एपीडा लोगो की उपयुक्त बैक-लिट ब्रांडिंग (उच्च रिजल्यूशन विज़ुअल)** पर्याप्त संख्या में प्रदान की जानी चाहिए। इसका आयाम 3 मीटर लंबा और आयोजक के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम अनुमेय ऊंचाई का होना चाहिए। एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि एपीडा पवेलियन की बैक-लिट ब्रांडिंग का आयाम आयोजकों के दिशानिर्देशों द्वारा अनुमत आयामों से छोटा न हो।

5.4.5 जेनेरिक ब्रांडिंग बैनरों का प्रावधान होना चाहिए, जो सिलवट रहित स्ट्रेचेबल लाइक्रा या फ्लेक्स से बने हों ताकि पवेलियन के समग्र स्वरूप में कोई सिलवट न दिखे। इसके अतिरिक्त, इन बैनरों में चमकदार-श्वेत रोशनी होनी चाहिए।

5.4.6 इन प्रचार और ब्रांडिंग सामग्रियों के लिए, एजेंसी एपीडा द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के आधार पर कंटेंट विकसित करेगी, जिसमें संपादन, प्रूफ रीडिंग और मूल्य संवर्धन शामिल होगा।

5.4.7 एजेंसी प्रतिदिन **वीआईपी दौरों के लिए** लगभग **5 गुलदस्ते** या एपीडा के निर्देशानुसार व्यवस्था करेगी।

5.4.8 एजेंसी **कम से कम 15 वीआईपी मेहमानों** के लिए **एपीडा स्मृति चिन्ह** व्यवस्थित करेगी, जिसकी **लागत लगभग ₹4,000/- (चार हजार रुपये) प्रति स्मृति चिन्ह** होगी या जैसा कि एपीडा द्वारा अनुमोदित किया जाए।

5.4.9 एजेंसी निम्नलिखित अवसरों के लिए सभी दिनों के लिए वास्तविक समय के आधार पर तस्वीरें लेने और उन्हें सोशल मीडिया एजेंसी को अग्रेषित करने हेतु एक अच्छे फोटोग्राफर की व्यवस्था करेगी:

I. उद्घाटन समारोह की तस्वीरें जिनमें सभी गणमान्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों
II. थीम क्षेत्र की तस्वीरें (जनसमूह के साथ संवाद सहित)
III. निर्यातक स्टॉल की तस्वीरें (प्रदर्शकों के साथ एपीडा के अनुसूचित उत्पादों को केन्द्रित करते हुए)
IV. वेट सैंपलिंग क्षेत्र की तस्वीरें (शेफ, व्यंजन और आगंतुक)
V. तकनीकी सत्र / समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर / अन्य कार्यक्रम (जैसा लागू हो) ।

5.4.10 एजेंसी निम्नलिखित अवसरों के लिए, वास्तविक समय के आधार पर प्रशंसात्मक वीडियो रिकॉर्ड करने और सोशल मीडिया एजेंसी को संप्रेषित करने हेतु एक अच्छे वीडियोग्राफर की व्यवस्था करेगी:

क. गणमान्य व्यक्तियों का -- (3 वीडियो)
ख. निर्यातकों का - (एपीडा के निर्यातकों/प्रदर्शकों को दर्शाते हुए सभी निर्यातकों के वीडियो, जिनमें स्टॉल पर सर्वश्रेष्ठ ब्रांडिंग/डिस्प्ले अथवा आकर्षक एपीडा अनुसूचित उत्पादों को प्रमुखता से दिखाया जाए, तथा संपूर्ण पवेलियन क्षेत्र को विभिन्न कोणों से कवर किया जाए।)
ग. साझेदार (3 वीडियो)
घ. प्रतिदिन 90-120 सेकंड की अवधि के 5 लघु वीडियो (इंस्टाग्राम के लिए 9:16 ऑस्पेक्ट रेशियो और यूट्यूब के लिए

16:9 (1920 x 1080 पिक्सल रिजल्यूशन या बेहतर))

5.4.11 एजेंसी वास्तविक समय के आधार पर एपीडा और संलग्न सोशल मीडिया एजेंसी को सम्पूर्ण सामग्री- रॉ फोटो और वीडियो, क्रिएटिव्स, जीआईएफ, इन्फोग्राफिक्स, और कच्चे फोटो और वीडियो पर आधारित अन्य डिजिटल एसेट्स साझा करेगी।

5.4.12 कार्यक्रम आयोजक द्वारा प्रदान किए गए सभी ब्रांडिंग प्रावधानों की अधिप्राप्ति का समन्वय एपीडा की ओर से एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

5.4.13 **आहार 2026 में एपीडा हेतु प्रभावशाली व्यक्ति (इन्फ्लुएंसर) का नियोजन**

- भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा अधिमानतः 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के एक प्रतिष्ठित प्रभावशाली व्यक्ति - जिनमें शेफ, फूड ब्लॉगर, खाद्य प्रेमी, जीवनशैली एवं कल्याण विशेषज्ञ, पोषण विशेषज्ञ, सततता के समर्थक, सुप्रसिद्ध व्यक्ति तथा खाद्य एवं पेय उद्योग से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल हों-को नियोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य एपीडा की पहुँच को सुदृढ़ करने हेतु प्रभावी एवं सशक्त डिजिटल कथाकारिता के माध्यम से युवाओं, महिला उद्यमियों तथा खाद्य अनुसंधानकर्ताओं को सक्रिय रूप से जोड़ना है।
- **पात्रता मानदंड:**
  - (क) यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और/या फेसबुक पर न्यूनतम 5 लाख (500K+) फॉलोअर्स होने चाहिए।
  - (ख) कल्याण (वेलनेस), खाद्य और सततता के क्षेत्रों में सशक्त उपस्थिति होनी चाहिए।
  - (ग) एजेंसी द्वारा साझा किए गए जनसांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर ड्यू डिलिजेंस तथा डिजिटल मीडिया उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- **प्रदेय:**
- इवेंट के प्रत्येक दिन हेतु 90-120 सेकंड की अवधि के 5 लघु वीडियो/रील्स (इंस्टाग्राम के लिए 9:16 ऑस्पेक्ट रेशियो तथा यूट्यूब के लिए 16:9 (1920 x 1080 पिक्सेल रिजल्यूशन या इससे बेहतर))।
- 60-90 सेकंड की अवधि वाले 3-5 प्रशंसात्मक वीडियो, जो स्टॉलों पर सर्वश्रेष्ठ ब्रांडिंग/प्रदर्शन करने वाले एपीडा के निर्यातकों/प्रदर्शकों अथवा एपीडा के आकर्षक अनुसूचित उत्पादों को विशिष्ट रूप से दर्शाते हों।
- 3–5 सोशल मीडिया पोस्ट (स्टेटिक/वीडियो/जिफ/एनिमेटेड क्रिएटिव्स) ।

5.5 **<u>सजीव पाककर्म और प्रदर्शन हेतु कैफे क्षेत्र के लिए विनिर्देश</u>**

5.5.1 एपीडा पवेलियन के अंतर्गत 45 वर्ग मीटर का एक सजीव पाककर्म क्षेत्र (लाइव कुकिंग एरिया) होगा। यहाँ गणमान्य व्यक्तियों और आगंतुकों के स्वाद परीक्षण हेतु भारतीय उत्पादों का उपयोग करके लोकप्रिय भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन तैयार किए जाएंगे और उनका प्रदर्शन किया जाएगा। इस क्षेत्र को 100 मिलीमीटर ऊँचे प्लेटफॉर्म और बेज रंग की लकड़ी की फर्श तथा अंतरित (रीसेस्ड) एलईडी लाइटों के माध्यम से विशिष्ट पहचान दी जानी चाहिए। यह क्षेत्र चारों ओर से खुला होना चाहिए और इसे एक आधुनिक रेस्टोरेंट का अनुभव प्रदान करने के लिए सौंदर्यपूर्ण ढंग से तैयार किया जाना चाहिए।

5.5.2 इस क्षेत्र को एक समकालीन भारतीय थीम वाले कैफे के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें आगंतुकों के लिए तैयार उत्पादों का स्वाद लेने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा।

5.5.3 कैफे क्षेत्र का संचालन एक प्रतिष्ठित शेफ द्वारा किया जाएगा, जो अपने सहायकों के साथ मिलकर मौके पर ही भारतीय व्यंजन तैयार करेंगे।

5.5.4 कॉमन वेट सैंपलिंग क्षेत्र में नमूनों के प्रदर्शन हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

5.5.5 कॉमन वेट सैंपलिंग क्षेत्र में माइक्रोवेव, ओटीजी, इंडक्शन कुकर, एयर फ्रायर आदि की व्यवस्था होगी, ताकि सजीव पाककर्म,

चाय-कॉफी की तैयारी, तथा विभिन्न खाद्य उत्पादों (गीले/सूखे) का प्रदर्शन, नमूना एवं स्वाद परीक्षण कराया जा सके। एजेंसी द्वारा व्यंजनों के प्रदर्शन हेतु एक प्रतिष्ठित शेफ की व्यवस्था की जाएगी।

5.5.6 कॉमन वेट सैंपलिंग क्षेत्र, एपीडा थीम क्षेत्र से पृथक स्थान पर स्थित होगा तथा सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए सामान्य होगा।

5.5.7 कॉमन वेट सैंपलिंग क्षेत्र को पर्याप्त श्वेत रोशनी से पूरी तरह प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि पूरे पवेलियन में कहीं भी अंधेरा न रहे।

5.5.8 मेले के प्रत्येक दिन के लिए एक नमूना मेनू तैयार किया जाएगा तथा इसे एपीडा से अनुमोदित कराया जाएगा।

5.5.9 एजेंसी परिवहन, वितरण, क्रॉकरी, व्यंजनों की तैयारी और परोसने के लिए उचित व्यवस्था करेगी।

5.5.10 आगंतुकों द्वारा डाउनलोड करने के लिए कम से कम 30 व्यंजनों वाली एक डिजिटल रेसिपी बुक विकसित की जाएगी।

5.5.11 वेट सैम्पलिंग क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5.6 **अन्य गतिविधियाँ / कर्तव्य**:

5.6.1 हॉल संख्या 3 में एपीडा के सभी उत्पाद समूहों के लिए पर्याप्त संख्या में झालर (बंटिंग) और लटकन (हैंगिंग) की व्यवस्था की जाएगी।

5.6.2 हॉल संख्या 3 के मुख्य द्वार के साथ-साथ बाहरी द्वार/होल्डिंग क्षेत्र पर एपीडा ब्रांडिंग की जाएगी।

5.6.3 एजेंसी द्वारा प्रदर्शकों तथा आगंतुकों/खरीदारों दोनों से प्रतिक्रिया लेने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके लिए एक सुदृढ़ आईटी-आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें प्रमुख स्थानों पर क्यूआर कोड पॉइंट्स तथा आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था एजेंसी द्वारा की जाएगी। इस गतिविधि का एक डेमो तकनीकी प्रस्तुति के दौरान प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

5.6.4 एजेंसी अनुमानित विद्युत भार का आकलन करेगी और एपीडा के परामर्श से इसे बुक करेगी। एजेंसी द्वारा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, वास्तविक आधार पर आवश्यक विद्युत शुल्क का भुगतान एपीडा द्वारा किया जाएगा। हालांकि, प्रदर्शकों को निर्धारित सीमा से अधिक विद्युत भार का उपयोग करने पर स्वयं भुगतान करना होगा; एपीडा अतिरिक्त विद्युत भार के लिए कोई भुगतान नहीं करेगा। पूरे एपीडा पवेलियन में विद्युत वितरित करना और प्रत्येक बूथ पर कनेक्शन सुनिश्चित करना एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

5.6.5 प्रदर्शनी के दौरान निर्यातकों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना एजेंसी की जिम्मेदारी होगी, जिसमें प्रदर्शक बैज, आगंतुक पास, प्रवेश पास, निकास पास, लेबर पास आदि का वितरण शामिल है।

5.6.6 एजेंसी आयोजन के सभी पांच दिनों के लिए प्रतिदिन लगभग 10 व्यक्तियों हेतु उच्च गुणवत्ता वाले शाकाहारी/मांसाहारी नाश्ते और दोपहर के भोजन की व्यवस्था करेगी।

5.6.7 एजेंसी आयोजन के सभी दिनों के लिए दिन की पाली में 4 महिला परिचारिकाओं और 4 पुरुष सहायकों तथा सभी पालियों में 8 सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था करेगी।

5.6.8 एजेंसी प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान पवेलियन के भूनिर्माण, रखरखाव, सफाई और अग्नि सुरक्षा का कार्य करेगी।

5.6.9 एजेंसी को यह कार्य टर्नकी आधार पर सौंपा जाएगा, जिसमें डिजाइन और निर्माण-कार्य से लेकर रखरखाव, प्रबंधन और अंत में पवेलियन को हटाने तक का कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त, एजेंसी पोस्टर लगाने और एपीडा प्रदर्शकों की अतिरिक्त आवश्यकताओं के संबंध में उनके साथ समन्वय भी करेगी।

6. सामान्य निर्देश:

6.1 एपीडा कार्यालय कंप्यूटर/लैपटॉप, इंटरनेट (वाई-फाई) और फोटोकॉपी सुविधा युक्त प्रिंटर से सुसज्जित होना चाहिए।

6.2 एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे कि वॉल पैनल, लकड़ी की सामग्री, फर्नीचर, डिस्प्ले एड्स (प्रदर्शनी सहायता सामग्री) आदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और रंग एवं आकार में एकसमान होनी चाहिए। एजेंसी उपयोग किए जाने वाले फर्नीचर के चित्र तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुति के समय प्रदर्शित करेगी और उनका पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करेगी।

6.3 एजेंसी प्रत्येक दिन की गतिविधियों (अर्थात प्रदर्शनी के प्रत्येक दिन) के शुरू होने से काफी पहले पूरे पवेलियन का उचित रखरखाव और नियमित सफाई सुनिश्चित करेगी।

6.4 एजेंसी एपीडा पवेलियन और उसके आसपास अग्नि निवारण और अग्निशमन के पूर्ण प्रबंध सुनिश्चित करेगी।

6.5 एजेंसी सुविधाओं से संबंधित प्रदर्शकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगी।

6.6 एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि पूरे आयोजन के दौरान पवेलियन के रखरखाव और समन्वय के लिए साइट पर उपयुक्त जनशक्ति उपस्थित रहे।

6.7 एजेंसी आयोजन की समाप्ति के बाद, इस संबंध में आईटीपीओ के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी फर्नीचर, फिक्स्चर और अन्य सामग्री को हटाकर पवेलियन साइट का खाली और साफ कब्जा मेला आयोजक को सौंपना सुनिश्चित करेगी।

6.8 एजेंसी को स्थल के उपयोग और योजनाओं आदि के अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रपत्र समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा।

6.9 एजेंसी मुख्य विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना और एपीडा पवेलियन में उचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। विद्युत आपूर्ति के प्रावधान के लिए भुगतान की गई वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति एपीडा द्वारा की जाएगी। ऐसे खर्चों की प्रतिपूर्ति आयोजन के लिए एजेंसी के बिल के निपटान के समय, आयोजक के बिलों और एजेंसी द्वारा आयोजक संस्था को किए गए भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने पर की जाएगी।

6.10 एजेंसी पूरे एपीडा पवेलियन के लिए नए खरीदे गए कालीनों का प्रावधान सुनिश्चित करेगी।

6.11 एजेंसी निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करेगी और साथ ही वॉल पैनल, फर्नीचर, प्रदर्शन सहायक सामग्री आदि बनाने के लिए योग्य कारीगरों को नियुक्त करेगी।

6.12 एजेंसी को कार्यक्रम स्थल खाली करने और अनुमोदित एजेंसी को सौंपने से पहले प्रदर्शनी आयोजकों और अन्य विक्रेताओं से संबंधित सभी बकाया राशि के निपटान और/या भुगतान की व्यवस्था करनी होगी।

7. नियम और शर्तें:

7.1 एजेंसी एपीडा के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करेगी। यह सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियां भारतीय कानूनों के अनुसार हों।

7.2 एजेंसी बिजली आपूर्ति, मुख्य विद्युत कनेक्शन, जल आपूर्ति और अन्य सहायक प्रणालियों आदि के संबंध में आयोजक की सिफारिशों/दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

7.3 एपीडा की अपेक्षा है कि इस अनुबंध के अंतर्गत चयनित एजेंसी, अनुबंध की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का

पालन करे।

7.4 एपीडा कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि प्रस्ताव के लिए अनुशंसित एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

7.5 एपीडा के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:

(i) पवेलियन के डिजाइन, ग्राफिक्स और क्रिएटिव के कॉपीराइट पर एपीडा का पूर्ण स्वामित्व रखना। सभी फोटोग्राफ और उच्च-गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स मूल प्रति होने चाहिए।

(ii) किसी भी स्तर पर डिजाइन योजना में बदलाव करना।

(iii) आवेदन/बोली दस्तावेज़ जमा करने की समय सीमा बढ़ाना।

(iv) बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।

(v) परियोजना को स्थगित करना, चयनित पार्टी के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द करना यदि एपीडा की राय में यह जनहित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।

(vi) यदि एपीडा की राय में सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या उपयुक्त हो, तो अनुबंध की शर्तों और नियमों में संशोधन करना।

7.6 इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए एपीडा का निर्णय अंतिम और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

7.7 यदि कोई अतिरिक्त गतिविधि करने की आवश्यकता हो, तो इसके लिए एपीडा से पूर्व में लिखित विशेष अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8. चयन प्रक्रिया:

8.1 चयन प्रक्रिया में बोली-पूर्व बैठक, प्राप्त बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन, चयन समिति के समक्ष बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा दस्तावेजों और प्रस्तुतिकरण के अंकों के आधार पर बोलीदाताओं की अंक-पत्रिका तैयार करने के लिए वित्तीय बोलियों को खोलना शामिल है।

8.2 बोली-पूर्व बैठक की कार्यसूची एपीडा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। बोलीदाताओं को अपने बोली प्रस्तुत करने के लिए बोली-पूर्व बैठक की कार्यसूची अवश्य पढ़ने की सलाह दी जाती है।

8.3 **बोलियों का मूल्यांकन:**

8.3.1 एपीडा की एक समिति प्राप्त दस्तावेजों की जांच करेगी और निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली बोलीदाता एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट की गई एजेंसियों को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

8.3.2 बोलियों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा – पहला, तकनीकी मूल्यांकन, और दूसरा, वित्तीय बोली खोलना।

8.3.3 तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन हेतु, एपीडा द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर चयन समिति के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण आयोजित किया जाएगा। यह प्रस्तुतिकरण बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगा। तकनीकी प्रस्तुतिकरण हेतु,

पवेलियन की अवधारणा / डिज़ाइन, लेआउट और सजावट योजना आदि की प्रतियां हार्ड कॉपी तथा पेन ड्राइव में समय से जमा करना अनिवार्य है।

8.3.4 प्रस्तुतिकरण के अंक निम्नलिखित साख (योग्यता) के लिए दिए जाएंगे: :

क्र.सं.	क्षेत्र		अधिकतम अंक
(i)	समग्र अवधारणा एवं डिज़ाइन		**30**
(ii)	पवेलियन एवं प्रदर्शक स्टॉल के संदर्भ में डिज़ाइन की समग्र सौंदर्यात्मक गुणवत्ता, पवेलियन तथा प्रदर्शनी क्षेत्र हेतु नवोन्मेषी अवधारणाएँ, एवं आगंतुक सहभागिता को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित उपायों का मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी नवाचारों एवं नवीन विचारों को उच्च प्राथमिकता के साथ अधिक अंक प्रदान किए जाएंगे।		**30**
(iii)	एजेंसी को पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों के दौरान इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में पवेलियन के निर्माण-कार्य, डिज़ाइन और रखरखाव से संबंधित) से 3,00,00,000 रुपये (तीन करोड़ रुपये मात्र) का न्यूनतम कारोबार अर्जित करना चाहिए। कारोबार केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए, न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर।		**5**
	क. 3-5 करोड़ रु.	3 अंक	
	ख. 5 करोड़ रु. से अधिक	5 अंक	
(iv)	एजेंसी द्वारा विगत 5 वर्षों के दौरान टर्नकी आधार पर पवेलियन के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव की आवश्यकता वाले कम से कम तीन (3) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन/निष्पादन किया गया हो, जिसमें, (क) कम से कम तीन पवेलियन **500 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल** के होने चाहिए। (ख) एजेंसी द्वारा प्रति आयोजन ₹50.00 लाख (रुपये पचास लाख) या उससे अधिक मूल्य के कम से कम 3 (तीन) आयोजनों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया हो।		**5**
	क. 3-5 इवेंट	3 अंक	
	ख. 5 से अधिक इवेंट	5 अंक	

सभी प्रस्तुतियों पर अंकन किया जाएगा। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियाँ ही खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी।

8.4 चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति पर किया जाएगा। चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति के तहत वित्तीय बोलियों पर अंकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होगा::

एल1 = 30 अंक

एल2 = 30 X एल1 (एल1 द्वारा कोट की गई लागत)/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) और एल3, एल4 आदि के समान (पक्षों की संख्या के आधार पर) ।

8.5 वित्तीय बोलियों पर अंकों की गणना के बाद, तकनीकी प्रस्तुति और वित्तीय बोलियों के अंकों को जोड़ा जाएगा और उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।

8.6 चयन समिति अनुबंध/आदेश दिए जाने से पहले बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर कोई दायित्व डाले बिना किसी भी समय घोषणा वापस लेने, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एपीडा कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएँ जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

9. अपरिहार्य घटना:

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

10. विवाचन:

(क) इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

(ख) दोनों पक्ष सुलह के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

(ग) किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को सुलह प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने का हरसंभव प्रयास करना होगा।

(घ) इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) इसे भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार अध्यक्ष, एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

(ङ) भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थतम कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा।। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

(च) मध्यस्थतम को देय शुल्क का भुगतान दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाएगा। मध्यस्थतम कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

11. क्षतिपूर्ति:

एजेंसी किसी भी और सभी कार्यवाही, कार्रवाई, नुकसान, क्षति, व्यय, लागत और तीसरे पक्ष के दावों, चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा, जिसमें ईपीएफओ/ईएसआईसी/सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/सांविधिक प्राधिकरणों आदि को देय अंशदान का भुगतान शामिल है, जो एपीडा अनुबंध की अवधि के दौरान और उसके बाद अनुबंध की अवधि से संबंधित किसी भी समय, एजेंसी, उसके उप-ठेकेदारों, उप-एजेंटों, कर्मचारियों आदि द्वारा अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व के उल्लंघन के कारण बनाए रख सकता है, वहन कर सकता है, भुगत सकता है या उजागर हो सकता है, के विरुद्ध एपीडा और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करेगी, रक्षा करेगी और उन्हें हानिरहित रखेगी।

12. **बौद्धिक संपदा अधिकार:**

(क) एपीडा का नाम / प्रतीक चिन्ह (लोगो) / अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) विशेष रूप से केवल एपीडा की एकमात्र और अनन्य संपत्ति होंगे। एजेंसी और / या उनके उप-एजेंटों / उप-ठेकेदारों / कर्मचारियों आदि द्वारा एपीडा के नाम / लोगो / बौद्धिक संपदा अधिकारों के किसी भी दुरुपयोग / गलत बयानी / अनधिकृत उपयोग के लिए एजेंसी ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

(ख) एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के ऐसे किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग के कारण एपीडा किसी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(ग) एजेंसी को, स्वयं अथवा अपने उप-एजेंटों/उप-ठेकेदारों/कर्मचारियों आदि द्वारा एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआरएस के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग तथा/अथवा बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी दावे (दावों) के विरुद्ध एपीडा की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

(घ) एपीडा ऐसे उल्लंघनों के लिए आवश्यक कानूनी और अन्य उपचारात्मक कार्रवाई करेगा, जो उचित समझी जाएगी।

13. **भुगतान की शर्तें**:

(क) कुल लागत की 30% तक की अग्रिम राशि का भुगतान, व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर अथवा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पक्ष में समान राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर किया जाएगा।

(ख) इवेंट के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के अनुसरण में कार्यक्रम के पूरा होने पर शेष राशि जारी की जाएगी।

(ग) भुगतान केवल कार्यक्षेत्र के अनुसार साइट पर किए गए वास्तविक कार्य के लिए जारी किया जाएगा जो आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकता है।

14. **<u>अंतिम भुगतान करने हेतु पूर्व शर्तें</u>**

(क) एजेंसी को पवेलियन के अंतिम डिज़ाइन, पैनल/पोस्टर (सीडीआर प्रारूप में), प्रदर्शक निर्देशिका की सॉफ्ट कॉपी, एपीडा के लिए तैयार इवेंट रिपोर्ट (पीडीएफ प्रारूप) की सॉफ्ट कॉपी इवेंट पूरा होने के 10 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इवेंट रिपोर्ट की 2 हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। इसे एपीडा की संपत्ति माना जाएगा।

(ख) पवेलियन क्षेत्र के विद्युत बिल की प्रति और उक्त भुगतान के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना।

(ग) प्रदर्शनी स्थल पर इवेंट की देखरेख के लिए नियुक्त एपीडा अधिकारी की संतोषजनक प्रदर्शन रिपोर्ट।

(घ) <u>यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त गतिविधियों के लिए एपीडा द्वारा अनुमोदित लागत को छोड़कर, किसी भी अतिरिक्त लागत पर विचार नहीं किया जाएगा।</u>

(ङ) **कार्य-निष्पादकता आश्वासन**:
यदि एजेंसी का प्रदर्शन किसी भी निस्तारण में त्रुटिपूर्ण पाया जाता है या मापने योग्य परिणाम कार्यक्षेत्र के अनुसार परिकल्पित परिणाम से कम रहता है, तो अंतिम भुगतान के समय कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा, प्रदर्शन की कमी के अनुपात में, एपीडा द्वारा रोक लिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

15. तकनीकी और वित्तीय बोलियाँ जमा करने के लिए दिशानिर्देश:

(क) बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि सशर्त बोलियां स्वीकार्य नहीं हैं।

(ख) तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण/बोली वापस लेने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

(ग) बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों की तैयारी और एपीडा को प्रस्तुत करने से जुड़ी लागत वहन करनी होगी।

(घ) बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकरण पत्र अनुलग्नक-1 के साथ संलग्न किया जाए।

(ङ) सभी लिफाफों पर बोलीदाता एजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो, साथ ही लिफाफों पर पूरा पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल भी लिखा हो।

(च) प्रस्तुत बोली में किसी भी प्रकार का संशोधन या प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा। कोई भी आवेदक आवेदन जमा करने के बाद अपना आवेदन वापस ले सकता है, बशर्ते कि आवेदन जमा करने की समय सीमा समाप्त होने से पहले एपीडा को आवेदन वापसी की लिखित सूचना प्राप्त हो। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन पुनः जमा करना चाहता है, तो उसे निर्धारित तिथि तक सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए नया आवेदन जमा करना होगा।

(छ) अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त बोलियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें खोला जाएगा। ईमेल के माध्यम से प्राप्त बोलियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

(ज) सभी लिफाफों पर एजेंसी का नाम और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, संपर्क विवरण एवं ईमेल स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। बोलियां निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार चार लिफाफों में जमा की जानी हैं:

लिफाफा I: इस लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

(क) आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में जीएसटी सहित 17,700/- रुपये (सत्रह हजार सात सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट।

(ख) ब्याज मुक्त बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट।

लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए और उस पर **"आहार 2026 के लिए आवेदन-सह-प्रसंस्करण शुल्क और ईएमडी"** अंकित हो।

लिफाफा -II: इस लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:
अनुलग्नक - 1 (विधिवत भरा हुआ) और इसके साथ संलग्न सहायक दस्तावेज।
अनुलग्नक - 2 (सीए प्रमाणपत्र)
अनुलग्नक - 3 (ब्लैकलिस्ट न होने का घोषणा-पत्र)
लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए तथा इसके ऊपर **आहार 2026 (10-14 मार्च 2026), भारत मंडपम, नई दिल्ली में एपीडा पवेलियन के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य एवं रखरखाव के लिए तकनीकी बोली** स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।

लिफाफा III: इस लिफाफे में होगा
अनुलग्नक 4 (वित्तीय बोली) विधिवत भरा हुआ और सहायक दस्तावेजों (यदि कोई हो) के साथ। अनुलग्नक 5 (वैकल्पिक मदों के लिए

कोटेशन)
लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए तथा इसके ऊपर **“आहार 2026 (10-14 मार्च 2026), भारत मंडपम, नई दिल्ली में एपीडा पवेलियन के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव हेतु वित्तीय बोली”** अंकित होना चाहिए।

लिफाफा IV: मास्टर लिफाफा: इसमें निम्नलिखित लिफाफे शामिल होंगे: लिफाफा-I, II और III को लिफाफा-IV के भीतर रखा जाना चाहिए और उसे पुनः मुहरबंद किया जाना चाहिए।

इस मास्टर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **“आहार 2026 (10-14 मार्च 2026), भारत मंडपम, नई दिल्ली में एपीडा पवेलियन के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य एवं रखरखाव हेतु बोली”** अंकित होना चाहिए।

लिफाफा-IV निम्नलिखित पते पर जमा किया जाए:
सचिव
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी-चौथी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग,
अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली - 110 016

16. यदि बोलीदाता को किसी स्पष्टीकरण या अधिक जानकारी की आवश्यकता हो, तो कृपया संपर्क करें::
श्रीमती मीना सिंह
सहायक महाप्रबंधक
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी-चौथी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016
मेल: meenasingh@apeda.gov.in

बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 30.01.2026 को 13:00 बजे तक है।

बोली-पूर्व बैठक 19.01.2026 को दोपहर 12:00 बजे एपीडा, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी।

Annexure-1

TECHNICAL BID FOR DESIGN, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF APEDA PAVILION at AAHAR 2026 FROM 10th-14th MARCH 2026 at BHARAT MANDAPAM, NEW DELHI

Details of Bidder Agency

S. No.	Particulars	Details	Page no.
1	Name of Agency		
2	Address as per GST Registration (please attach documents)		
3	Name, designation, and contact details of authorized signatory including email id and contact no. (Please also attach Authorization Letter)		
4	Details of Registration /AOA & MOA (Please Attach copy)		
5	GST Certificate of Bidder Agency (Please Attach copy)		
6	Pan Card of Bidder Agency (Please Attach copy)		
7	Detailed Profile of the Agency including the staff strength on its payroll		
8	Details of Demand Draft for Non- Refundable Application cum Processing Fee of Rs. 17,700/- (Rupees Seventeen Thousand Seven Hundred).		
9	Details of Demand Draft for Interest-free Earnest Money Deposit "EMD" for Rs.5,00,000/- (Rupees Five Lakh) in favour of APEDA, New Delhi.		
10	"Certificate for exemption from submission of EMD (Please attach a self-certified copy)		
11	CA Certificate (Please Attach duly filled in Annexure-2)		

12	**Declaration- the agency has not been blacklisted by a Government organization. (Please Attach Annex-3)**			
13	**Experience Details** **(Please attach copies of Work Orders for execution of at least three international trade events for Design, Construction and Maintenance of Pavilion(s) on turnkey basis, conducted within/ outside India where** **(a) the area of pavilion should not have been less than 500 sq. mtrs for each event and** **(b) the financial value of each such event should be not less than Rs. 50,00,000/- (Rs. Fifty Lakhs).**	**Year**	**Work Orders**	
		2020-21		
		2021-22		
		2022-23		
		2023-24		
		2024-25		
14	**Turnover Details** **Minimum turnover Rs.3,00,00,000/-** **(Rs. Three Crores) per year from Design, Construction and Maintenance of Pavilions on turnkey basis, in International Trade events conducted within/ outside India during any of the three years out of the last 5 financial years.** **(Please attach CA Certificate- Annexure- 2)**	**Year**	**Turnover**	
		2020-21		
		2021-22		
		2022-23		
		2023-24		
		2024-25		

List of Enclosures:

Declaration

I hereby declare and confirm that all the information provided above is true and nothing has been concealed.

I agree to abide by the terms and conditions mentioned in the bid document.

I understand that if at any time, I am found to have concealed/distorted any material information or done any act or omission against the interest of APEDA, my contract shall be summarily terminated without any notice to me.

I am authorised to sign all the documents on behalf of the firm/ agency.

Signature of Authorized Signatory

(Name of Authorized Signatory)

Designation
E-mail ID:
Contact No.:

Seal of the agency

Date:

Annexure-2

C. A. Certificate

I /We, Proprietor / Partner / Director of ________(Name of CA Firm) do hereby confirm that M/s. _______(Bidder), a Proprietorship / Partnership / Company having its registered office at ……………………………., having PAN …………………..and GST No. … … … … … … which is valid from______(copy attached) and hereby declare and affirm as under:

(1) That the business entity is in existence in the present status from (date).

(2) That the details of the turnover from **International Events Executed within/ Outside India** (on the basis of the financial statements of the entity) are as follows:

S. No.	**Financial Year**	**No. of events executed within/ Outside India**	**Name of the Event, Place and Country**	**Name of Hosting Organization**	**Turnover (in Rs.)**
1	**2020-21**				
2	**2021-22**				
3	**2022-23**				
4	**2023-24**				
5	**2024-25**				

(3) That the above work was obtained in the entity's own name and the billing /payment was collected in the entity's own bank account.

Declaration

I have independently verified the above-mentioned details with books of accounts, 26AS statements, GST Returns and found them to be true and correct.

Counter-signed:

Signature of Authorised Signatory

Name & Designation

Partner/ Proprietor/ Director

Company Seal

Signature:

Name & Designation

UDIN

Seal of CA Firm

ANNEXURE-3

(To be provided on the Letter Head of the Agency)

BID FOR DESIGN, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF APEDA PAVILION AT AAHAR 2026 FROM 10th-14th MARCH 2026 at BHARAT MANDAPAM, NEW DELHI

To

The Secretary,
APEDA,
New Delhi-110016

Subject: Declaration for not being Blacklisted

Sir,

With reference to the bid on the subject cited above, I, …… (Name and designation of the Signatory) hereby declare and confirm that M/s. … (Name of the Agency) has not been black- listed or declared as ineligible by the Central Government/ State Government / Public Sector Undertaking from participating in future bids due to unsatisfactory performance, corrupt, fraudulent or any unethical business practices or any other reasons, as on the date of submission of the bid.

Signature of Authorised Signatory

Name and Designation

Company Seal

Annexure-4

FINANCIAL BID for DESIGN, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF APEDA PAVILION at AAHAR 2026 FROM 10th-14th MARCH 2026 at BHARAT MANDAPAM, NEW DELHI

M/s. (Name of the firm) offer to complete the work assigned as per terms & conditions provided in para 5 to 7 of the bid notice dated….,as per following details

S. No.	Activity and Component	Amount in Rs.
1	Design, Construction and Furnishing of **Theme/ Common Area** covering details mentioned in clause **5.2** of bid	
2	Design, Construction and Furnishing of **Exhibitor Stalls** covering details mentioned in clause **5.3** of bid	
3	**APEDA Branding** covering details mentioned in clause **5.4** of bid	
4	**Wet Sampling Area** covering details mentioned in clause **5.5** of bid	
5	**Other activities** covering details mentioned in clause **5.6** of bid	
6	**Sub-Total of (1) to (5) above**	
7	**Amount of Applicable taxes**	
8	**Total Amount (with taxes)**	

Total Amount in words: Rupees ….

. I undertake that No additional cost shall be claimed, unless specific prior approval through written email in this regard is conveyed from the office of the Chairman APEDA.

Signature of Authorised Signatory

(Name and Designation)
Company Seal

Date:

Place

Annexure – 5

Bid for DESIGN, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF APEDA PAVILION at AAHAR 2026 FROM 10th-14th MARCH 2026 at BHARAT MANDAPAM, NEW DELHI

Quotation for Supply of Optional Items, if requested by Exporter

(Reference: Para 5.3.6 of the bid document)

Note: - This quotation is not part of the Financial Bid.

S. No	Item	Unit	Price in Rs.
1.	Shelves	Per unit	
2.	Showcase (Glass Counter)	Per unit	
3.	Table	Per unit	
4.	Chair	Per unit	
5.	Spotlights	Per unit	
6.	Lockable Counter	Per unit	
7.	Refrigerator	Per unit	
8.	Microwave	Per unit	
9.	Hot case	Per unit	
10.	LED with stand (minimum 50 inch)	Per unit	
11.	Magazine Rack	Per unit	
12.	Center Table	Per unit	
13.	Sofa with (3-Seater)	Per unit	
14.	Sofa with (2-Seater)	Per unit	

Signature of Authorised Representative

Name

Company Seal

Date:

Place: